

To Pay the Pension to the Members of Panchayats

*1565

Sh. PARDEEP CHAUDHARY, MLA: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that the Government has announced pension for the Ex Members of Panchayats in the State but the Ex Members of the Panchayats in the Morni Block of Kalka Assembly Constituency are not getting the Pension; and
- b) if so, the time by which the pension is likely to be given to the above said Ex Members of the Panchayats together with details thereof ?

SH. DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT AND PANCHAYAT MINISTER, HARYANA

- (a) No, Sir
- (b) As on date, pension is being given only to Ex-President and Ex-Vice-President of Zila Parishads, Ex-Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samitis and Ex-Sarpanch, Gram Panchayats.

पंचायतों के पूर्व सदस्यों को पेंशन देना

*1565. श्री प्रदीप चौधरी, एम0एल0ए0: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में सरकार ने पंचायतों के पूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की घोषणा की है परन्तु कालका विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के मोरनी ब्लॉक में पंचायतों के पूर्व सदस्यों को पेंशन नहीं मिल रही है; तथा
- (ख) यदि हां, तो पंचायतों के उपरोक्त पूर्व सदस्यों को पेंशन कब तक दिए जाने की संभावना है; तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा

- (क) नहीं, सर
- (ख) इस समय केवल जिला परिषदों के भूतपूर्व प्रधान एवं उप-प्रधान, पंचायत समितियों के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच को पेंशन दी जा रही है।